असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 अगस्त, 2017

षोडश विधान सभा **बुधवार, तिथि 23 अगस्त, 2017 ई०**

सप्तम् सत्र **01 भाद्र, 1939(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न ।

(व्यवधान)

आबिदुर रहमान जी, आप बैठ जाइये । नेता विरोधी दल कुछ बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये आबिदुर रहमान जी । पूनम जी, आप भी बैठिये न, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं। एक साथ सब आदमी बोलियेगा तो किसी की बात नहीं सुनी जायेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव हमलोगों ने लाने का काम किया है । पूरे बिहार के खजाना से पैसे की जो चोरी हुई है, जिस तरीके से निकासी हुई है, जबतक सृजनों के दुर्जनों पर कार्रवाई नहीं होती और जबतक इस मामले में चर्चा नहीं होती, यह सारा जो मामला है मुख्यमंत्री जी को पता था, उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें पता था और उनके रहते हुये में यह सारा खजाना से दस साल से, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर हमलोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया है जिसपर निष्पक्ष जॉच की उम्मीद नहीं की जा सकती जबतक ये लोग पद पर बैठे हुये हैं । इसमें पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की मिलीभगत है । तमाम दोषियों को जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको बचाने का काम इनलोगों ने किया है, बल्कि आशंका है कि कई ऐसे लोगों को विदेश भी भगाने का काम इनलोगों ने किया है ।

अब आशंका सिर्फ भागलपुर ट्रेजरी की नहीं है, अब आशंका हो रही है, और सब जिला की बात आ रही है - अररिया से बात आ रही है, बॉका से बात आ रही है, सहरसा से बात आ रही है, भोजपुर के इलाकों से बात आ रही है । अब तक सरकार क्यों नहीं कोई जॉच रिपोर्ट पेश कर रही है कि अब तक बाकी खजाने से कितना पैसा ऐसे मामले में निकाला गया है, इसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । कहीं न कहीं से लीपापोती कराया जा रहा है, अपने चहेते अफसर को बैठाकर पूरे जॉच को दबाने की कोशिश की जा रही है, पटना में बैठकर यह सारा काम हो रहा है, महोदय ।

टर्न-1/मधुप/23.08.17

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप सदन के नियम-प्रावधानों से अवगत हैं । हमने देखा है कि माननीय सदस्य श्री सिद्दिकी साहब एवं अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित कार्य स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है लेकिन कार्य स्थगन की सूचना या कार्य स्थगन संबंधी प्रश्न उठाने का भी समय नियमावली में निश्चित किया हुआ है । अगर उस समय उठायेंगे तो अभी माननीय सदस्यों का जो समय होता है - प्रश्नकाल, यह चल जायेगा और उस समय आप उठायेंगे तो उसपर सुनकर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

अभी हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का होता है । संसदीय प्रणाली में सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका सीधा संबंध प्रश्नकाल से होता है जब सरकार के कार्यों के बारे में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो सरकार को जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व के साथ उसका उत्तर देना पड़ता है ।

इसलिये मेरी गुजारिश है सारे सदन से, देख रहा हूँ कि उधर आबिदुर रहमान जी, पूनम पासवान जी, सरकार की तरफ से भी, अगर सारे लोग प्रश्नकाल में ही अपनी बात रखने लगेंगे तब तो फिर सभी माननीय सदस्यों का जो प्रश्नकाल का समय है वही बर्बाद हो जायेगा । इसलिये.....

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : राज्य की जनता इस सवाल को पूछने का काम कर रही है और हमलोगों का कर्त्तव्य है कि बिहार की जनता जो जानना चाहती है कि सृजनों के दुर्जन कौन लोग हैं और इसके दोषी कौन लोग हैं ? यह बिहार की जनता जानना चाहती है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, उस संबंध में संयोग से आप नहीं थे, कल आपके दल के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने, सिद्दिकी जी के नेतृत्व में, इस बात को उठाया था, हमने कहा था दूसरे विकल्प नियम में उपलब्ध हैं जिसमें इस विषय पर सविस्तार चर्चा हो सकती है, ज्यादा विस्तार से चर्चा हो सकती है । उसमें अगर सारी बातों को उठाया जायेगा तो सरकार उसका उत्तर देने के लिये भी बाध्य होगी । आपके पास विकल्प मौजूद हैं, फिर इतने गम्भीर विषय पर इस प्रश्नकाल के समय में.....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हमलोग कैसे हाउस चलायेंगे ? जिनलोगों ने खजाने की चोरी की है, वे लोग गद्दी पर बैठे हुये हैं । उनलोगों को इस्तीफा देना चाहिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, ये वे लोग हैं जो भ्रष्टाचार पर इस्तीफा नहीं देने वाले लोग हैं । माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे)

(व्यवधान)

महोदय, पूरा घोटाला 2003 से हो रहा है और 2003 में इनके परिवार के लोग बिहार के मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री ये थे । महोदय, कल प्रश्नकाल था, पहला प्रश्न इस घोटाले के बारे में था, ध्यानाकर्षण में पहला ध्यानाकर्षण इस घोटाले के बारे में था, ये चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल हंगामा करना चाहते हैं । ये अनर्गल बयानबाजी करके अपना पाप छुपाना चाहते हैं । इनको पाप छुपाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये महोदय ।

मैं कहना चाहता हूँ कि नेता विपक्ष गरिमा का ध्यान रखें । मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखने का काम करें तब ये बात कहने का काम करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी जगह पर जाकर बोलियेगा तो सुनेंगे न ! अपनी जगह पर जाकर बोलियेगा तब न !

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न–2/आजाद/23.08.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष : कार्यस्थगन तो समय पर आपने दिया नहीं । माननीय ललित जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कार्यस्थगन पर तो कार्यस्थगन के समय पर ही न विचार होगा ? अभी तो महत्वपूर्ण विधायी कार्य है, वित्तीय कार्य है । मेरी समझ से इसको चलने दीजिए । माननीय उप मुख्यमंत्री ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' जिसे बिहार विधान–मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च,2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं । अपनी बात कहिए, लेकिन सदन की गरिमा को बनाये रखिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''स्थानीय निकाय'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, मैं किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा-110(4) के तहत् बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं सरंक्षण) नियमावली,2017 की एक प्रति सदन पटल पर रखती हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, मैं बिहार पंचायती राज अधिनियम,2006 की धारा-146(2) के तहत् बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभापति, सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह,सभापति,सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत् बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 194वां प्रतिवेदन, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित 195वां प्रतिवेदन, बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड से संबंधित 196वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

वित्तीय कार्य

अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1981-82 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 03 पर अंकित मांग संख्या-13 ''शिक्षा एवं कला और संस्कृति'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 3,35,52,846/-(तीन करोड़ पैंतीस लाख बावन हजार आठ सौ छियालीस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1981-82 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 03 पर अंकित मांग संख्या-13 ''शिक्षा एवं कला और संस्कृति'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 3,35,52,846/-(तीन करोड़ पैंतीस लाख बावन हजार आठ सौ छियालीस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1986-87 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-04 पर अंकित मांग संख्या-13 ''शिक्षा एवं कला और संस्कृति'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 65,62,60,350/-(पैंसठ करोड़ बासठ लाख साठ हजार तीन सौ पचास) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1986-87 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-04 पर अंकित मांग संख्या-13 ''शिक्षा एवं कला और संस्कृति'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 65,62,60,350/-(पैंसठ करोड़ बासठ लाख साठ हजार तीन सौ पचास) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

(व्यवधान जारी)

पहले इन लोगों को बैठाईए न । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

'' वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-05 पर अंकित मांग संख्या-25 ''शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 90,40,45,800/-(नब्बे करोड़ चालीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-05 पर अंकित मांग संख्या-25 ''शिक्षा,खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 90,40,45,800/-(नब्बे करोड़ चालीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

टर्न-3/अंजनी/दि0 23.08.17

(व्यवधान जारी)

<u>मांग संख्या-25</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

वित्तीय वर्ष 1993-94 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 06 पर अंकित मांग संख्या-25 "शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति " के संबंध में वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 32,65,20,229/-(बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार दो सौ उनतीस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1993-94 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 06 पर अंकित मांग संख्या-25 "शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति " के संबंध में वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 32,65,20,229/-(बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार दो सौ उनतीस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"वित्तीय वर्ष 1995-96 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 07 पर अंकित मांग संख्या-25 "शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति " के संबंध में वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 66,72,94,793/-(छियासठ करोड़ बहत्तर लाख चौरानवे हजार सात सौ तिरानवे) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।"

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1995-96 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ 07 पर अंकित मांग संख्या-25 "शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति " के संबंध में वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबन्धों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 66,72,94,793/-(छियासठ करोड़ बहत्तर लाख चौरानवे हजार सात सौ तिरानवे) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

(व्यवधान जारी)

आपके नेता, सिद्दिकी साहब बोल रहे हैं, अब तो आप लोग अपनी जगह पर चले जाइए, अपने नेता को क्यों बाधित कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आपने शुरूआती दौर में ही सृजन घोटाला एक महाघोटाला है, इसपर मैं स्वयं गंभीर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसपर बहस कराना ...

अध्यक्ष : बिल्कुल ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : चूंकि सदन स्थगित हो गया तो कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हमारा क्या हुआ ? चूंकि दो रोज हाउस है तो आप इस पर निर्णय ले लीजिए । अगर निर्णय नहीं लीजियेगा...

अध्यक्ष : माननीय सिद्दिकी साहब, आप अगर सहमत हों तो सदन का कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद मैं कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाउंगा, आप उसमें आइए और जो निर्णय लेना चाहते हैं, इसपर आप अगर बहस कराना चाहते हैं तो तिथि और समय निर्धारित कर लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, स्थगन में ही बहस कराना चाहते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, ये निर्देश करेंगे क्या अध्यक्ष को ? महोदय, ये अध्यक्ष को निर्देशित करना चाहते हैं । यहां बैठे हैं, क्या बात आप करते हैं । सरकार बहस कराने के लिए तैयार है । जांच कराने के लिए तैयार है सरकार । आप भाग रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''अनुसूचियां इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचियां इस विधेयक का अंग बनीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आप स्वीकृति का प्रस्ताव लेते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से हां कोई नहीं बोलते हैं, हाथ भी नहीं उठाते हैं । आप हाथ उठाते हुए दिखा दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल से सदन में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्य-संचालन नियमावली के स्वरूप में इस विषय पर सरकार बहस कराना चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सिद्दिकी जी कह रहे हैं कि आसन की तरफ से जब कहा जाता है कि जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं तो आपकी तरफ से आवाज नहीं आती है ।

(व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक,2017"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

टर्न-4/अशोक/23.08.2017

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

" बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)
विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत् माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)
विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ।

<u>बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक,2017</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री कृष्णनन्द प्रसाद वर्मा, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनन्द प्रसाद वर्मा, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनन्द प्रसाद वर्मा, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत् माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव

प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य , श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य , श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में छः संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7, 8, 9, 10 एवं 11 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष प्रश्न यह है कि :

"खंड-7, 8, 9, 10 एवं 11 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7, 8, 9, 10 एवं 11 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधयेक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनन्द प्रसाद वर्मा, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-5/ज्योति

23-08-2017

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव

प्राप्त हुआ है । अतएव विधेयक के सिद्धान्त पर विचार होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री राम देव राय का प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार राज्य विशविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खण्ड 2 में 3 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड- 2 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रस्तावना में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्ण नन्दन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक,</u> 2017

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017
को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।
क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खण्ड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड -1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 के पुर:स्थापन के पहले अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्पष्ट रुप से समझने के लिए विधेयक के खण्ड-2 के मद 4(1) के (ग),(घ) एवं (ङ) के वाक्यांशों में शब्द 'और' एवं शब्द 'से' के बीच शब्द 'उन्हीं में' अन्त:स्थापित माना जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रस्तावित विधेयक के भार साधक सदस्य एवं माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध के आलोक में विधेयक को स्पष्ट रुप से समझने के लिए प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-2 के मद 4(1) के (ग),(घ) एवं (ङ) के वाक्यांशों में शब्द 'और' एवं शब्द 'से' के बीच शब्द 'उन्हीं में' अन्त:स्थापित माना जायगा ।

प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

<u>विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श</u>

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान)

टर्न-6/23.8.2017/बिपिन

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड- 2 में पाँच संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड- 2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड- 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड- 1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-33 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक, वृहस्पतिवार दिनांक 24 अगस्त, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।